


हिन्दुस्तान

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

पूर्व चैंपियन स्पेन बाहर

विली के हाथों हारने के बाद विश्व चैंपियन स्पेन फुटबॉल वर्ल्डकप के शुरुआती दौर में ही शर्मनाक ढंग से बाहर हो गई।

पेज 14



सूक्रवार, 20 जून 2014, नई दिल्ली, पांच प्रदेश, 18 संस्करण

www.livehindustan.com

नं 79, अड्डा 146, 16 पेज-4 पेज हिन्दुस्तान एस्टेट-4 पेज अलोक, गुण 4.50, हिन्दुस्तान टाइम्स के साथ मूल्य ₹ 8.50 एवं एडवर्टी-1.25 के साथ मूल्य ₹ 6.75

सेबी ने खुदरा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उठाया कदम

एक ही केवाईसी से खरीदें शेयर और बीमा पॉलिसी

नई दिल्ली | एजेंसियां

समूचे वित्तीय क्षेत्र के लिए एक समान केवाईसी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने अन्य नियामकों के दायरे में आने वाली इकाइयों से सूचनाओं को साझा करने की अनुमति दे दी।

इससे उन निवेशकों को अब अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए जगह-जगह घूमना नहीं पड़ेगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के निदेशक मंडल ने गुरुवार को हुई बैठक में इस बारे में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अभी तक केवाईसी सूचना सिर्फ सेबी के पास पंजीकृत इकाइयों में ही साझा की जा सकती है। सेबी चेयरमैन यू.के. सिन्हा ने बोर्ड बैठक के बाद कहा कि हमने नियमन में संशोधन के प्रस्ताव को पारित किया।

इससे अन्य नियामकों के नियमन के दायरे में आने वाली इकाइयों को भी आंकड़ों तक पहुंच उपलब्ध हो सकेगी। सिन्हा ने कहा कि यह वित्तीय बाजार में एकल केवाईसी व्यवस्था की पहल है। यह इस दिशा में पहला कदम है, जो निवेशकों

फैसले और भी

1. निर्गम के बाद 4,000 करोड़ रुपये से अधिक बड़ी कंपनियों के अनिवार्य रूप से 10 फीसदी हिस्सेदारी आईपीओ से बेचनी होगी।
2. एंकर निवेशकों को 30 से बढ़ाकर 60 फीसद तक निवेश करने की छूट होगी
3. बिक्री पेशकश में खुदरा निवेशकों के लिए 10 फीसदी हिस्सेदारी आरक्षित होगी
4. सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी 25 होगी अनिवार्य
5. सरकारी कंपनियों को न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी के लिए मिलेगा तीन साल का समय
5. कर्मचारी शेयर कार्यक्रम (इसॉप) के लिए नए नियमों को दी गई मंजूरी
6. सूचीबद्ध पीएसयू में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी से सरकार को 60 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे
7. ओएफएस में ढील से हिन्दुस्तान जिंक में सरकारी हिस्सेदारी बेचने का रास्ता साफ



सेबी का यह कदम एकल केवाईसी व्यवस्था की पहल है। इससे बाजार में निवेश करना आसान होगा और खुदरा निवेशक तेजी से आकर्षित होंगे।

-अंकित अग्रवाल,
डायरेक्टर, अलंकित असाइनमेंट
लिमिटेड

के अनुकूल है। सेबी के निदेशक मंडल ने सेबी केवाईसी (पंजीकरण एजेंसी) नियमन, 2011 को मंजूरी दे दी है। सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के गैर-प्रवर्तकों को

ओएफएस रास्ते का दोहन करने की अनुमति से सरकार को हिन्दुस्तान जिंक में अपनी बची हिस्सेदारी बेचने का रास्ता साफ हो गया है।